न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:– उम्मेद सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–339/2017 राजस्व वाद

अनवान

01.श्री भोजा पिता अमरा गुर्जर आयु वयस्क निवासी सरेडी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाडा।
02.श्री दूदा पिता अमरा गुर्जर आयु वयस्क निवासी सरेडी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाडा।
03.श्री केशू पिता अमरा गुर्जर आयु वयस्क निवासी सरेडी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाडा।

––वादीगण।

बनाम

01.श्री दयाराम पिता हरा गुर्जर आयु वयस्क निवासी सरेडी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाडा।
02.श्री नारायण पिता गंगाराम गुर्जर आयु वयस्क नि0 सरेडी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाडा।
03.श्री भैरू पिता गंगाराम गुर्जर आयु वयस्क नि0 सरेडी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाडा।
04.श्री धन्ना पिता गंगाराम गुर्जर आयु वयस्क नि0 सरेडी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाडा।
05. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा

––प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाद बाबत् कब्जायाबी आराजियात

अधिवक्ता वादीगण– श्री मुरलीधर जोशी — निर्णय दिनांक:–09.10.2018

वादीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 टिनेन्सी एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी माण्डल के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सरेडी पटवार हल्का भभाणा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा में वादीगण के खातेदारी अधिकार आधिपत्य के आराजी नं0 791 रकबा 1.06 बीघा, आराजी नं0 792 रकबा 5.09 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 6.15 बीघा भूमि स्थित है। वादीगण की आराजी नं. 791 रकबा 1.06 बीघा संपूर्ण व आराजी नं. 792 रकबा 5.09 बीघा भूमि में से 0.03 बीघा किता 2 कुल रकबा 1.09 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का उक्त आराजी से कोई हक वास्ता नहीं होने पर भी वादीगण की अनुपस्थिति में प्रतिवादी सं0 1 से 4 ने वादीगण की आराजी पर कब्जा कर लिया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने वादीगण के साथ लडाई झगडा किया। इस पर वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी माण्डल के न्यायालय में उपरोक्त आराजी की पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 10 सन् 2015 हैं जिसमें उपखण्ड अधिकारी माण्डल के न्यायालय ने पत्थरगढी का आदेश पारित किया। जिसकी पालना में दिनांक 07.04.2016 को गिरदावर करेडा एवं पटवार हल्का भभाणा द्वारा उक्त आराजियात की पत्थरगढी की गई व पर्चा मौका मुर्तिब किया जिससे जानकारी हुई कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 ने वादीगण के आराजी नं. 791 रकबा 1.06 बीघा संपूर्ण व आराजी नं. 792 रकबा 5.09 बीघा भूमि में से 0.03 बीघा किता 2 कुल रकबा 1.09 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 का उक्त वादग्रस्त आराजियात से कोई लेना–देना नहीं है। जिससे यह वाद पत्र प्रस्तुत करने की नौबत आई है एवं कब्जायाबी आराजियात की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जाकर उक्त वादग्रस्त आराजियात में से प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 द्वारा किये गये अवैध कब्जे को प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के खर्चे पर हटवाया जाकर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को सम्मन प्रेषित किये गये।

कालांतर में उपखण्ड न्यायालय करेडा में नवसृजित हो जाने से उक्त पत्रावली उपखण्ड अधिकारी माण्डल के न्यायालय से मुन्तकिल होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किये गये। तत्पश्चात राजस्व लोक अदालत में भी सुनवाई हेतु प्रतिवादीगण को सूचना पत्र जारी किये जो वाद तामील शामिल फाइल है। जिस पर प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुये। उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं।

वादीगण के अधिवक्ता ने उक्त प्रकरण में बहस करनी चाही। बहस सुनी गई। वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी एवं पत्थरगढी पर्चा मौका की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

मैंने पक्षकार की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 07.04.2016 से यह प्रमाणित होता है कि वादीगण आराजी नं. 791 रकबा 1.06 बीघा व आराजी नं. 792 रकबा 5.09 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत पर्चा मौका पत्थरगढी दिनांकित 07.04.2016 का अवलोकन किया। उक्त पर्चा मौका अनुसार गिरदावर एवं पटवारी हल्का द्वारा मुस्तकिल सीमा चिन्ह से पत्थर गढी की जाकर पत्थर गढवाये तथा इस आशय की रिपोर्ट दी कि आराजी नं. 791 रकबा 1.06 बीघा संपूर्ण व आराजी नं. 792 रकबा 5.09 बीघा भूमि में से 0.03 बीघा किता 2 कुल रकबा 1.09 बीघा भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 ने अवैध कब्जा किया है । इस प्रकार वादीगण के वादपत्र में अंकित तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 ने वादीगण की कृषि भूमि में वादपत्र में वर्णितानुसार अवैध कब्जा किया है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 द्वारा वादीगण के वादपत्र का कोई खंडन नहीं किया है जिससे वादीगण का वादपत्र अखंडनीय रहा है।

## आदेश

अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है ग्राम सरेडी पटवार हल्का भभाणा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा में स्थित वादीगण की खातेदारी अधिकार की आराजी नं. 791 रकबा 1.06 बीघा संपूर्ण व आराजी नं. 792 रकबा 5.09 बीघा भूमि में से 0.03 बीघा किता 2 कुल रकबा 1.09 बीघा भूमि पर से प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जाये। तहसीलदार करेडा को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा तदनुसार कायम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल कर नंबर से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेद सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–339/2017 राजस्व वाद

अनवान

01.श्री भोजा पिता अमरा गुर्जर आयु वयस्क निवासी सरेडी, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।
02.श्री दूदा पिता अमरा गुर्जर आयु वयस्क निवासी सरेडी, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।
03.श्री केशू पिता अमरा गुर्जर आयु वयस्क निवासी सरेडी, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।

––वादीगण।

वनाम

01.श्री दयाराम पिता हरा गुर्जर आयु वयस्क निवासी सरेडी, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।
02.श्री नारायण पिता गंगाराम गुर्जर आयु वयस्क नि0 सरेडी, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।
03.श्री भैरू पिता गंगाराम गुर्जर आयु वयस्क नि0 सरेडी, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।
04.श्री धन्ना पिता गंगाराम गुर्जर आयु वयस्क नि0 सरेडी, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।
05. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा

––प्रतिवादीगण।

यह मुकदाम अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी श्री मुरलीधर जोशी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि ग्राम सरेडी, पटवार हल्का भभाणा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा में स्थित वादीगण की खातेदारी अधिकार की आराजी नं. 791 रकबा 1.06 वीघा संपूर्ण व आराजी नं. 792 रकबा 5.09 वीघा भूमि में से 0.03 वीघा किता 2 कुल रकबा 1.09 वीघा भूमि पर से प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जाये।

आज तारीख 09.10.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी करेडा

Scanned by CamScanner